न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00330 RAAJodhpur2018-142RTA223 Gangaram Vs Ruppuri etc

गंगाराम पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट, निवासी- पश्चिमी ढाणी तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. रूपपुरी पुत्र श्री लुणपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी- लोहावट जाटावास, जिला जोधपुर।
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर जरिये लोहावट डीलर।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 138/2013 गंगाराम बनाम रूपपुरी

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिसंबर 2022

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जुलाई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 138/2013 गंगाराम बनाम रूपपुरी के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 अगस्त 2018 को पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 643 रकबा 19.17 बीघा ग्राम लोहावट जाटावास के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2018 को निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दौराने अपील अपीलांट संख्या एक के अलावा अपीलांट संख्या दो से दस ने 18.02.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी अपील एवं वाद को विड्रो कर लिया, जिसके अनुसरण में संशोधित अपील शीर्षक पेश होने एवं पत्रावली बहस हेतु परिपूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की, जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पूर्व पुरुष एवं उसके बाद वादी की खातेगण की खातेदारी में रही एवं उसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, लेकिन शंकरपुरी पुत्र श्री भैरपुरी ने हल्का पटवारी एवं सरपंच से मिलीभगत कर एक विवादित म्यूटेशन संख्या 166 बाले-बाले पारित करवा लिया, जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिना कोई कारण या औचित्य बिना पारित करवाया, उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड दर्ज करवा लिया जो छल कपट, धोखाधड़ी एवं कानून विरुद्ध एवं सरपंच ने बिना अधिकारिता के पास किया, जो निरस्त योग्य है। उसके बाद रेस्पोडेंट/प्रतिवादी जो इसी गांव का एवं पड़ौसी है जो यह जानते हुए कि उपरोक्त कृषि भूमि शंकरपुरी एवं उनके उक्त वारिसान् की नहीं है, फिर भी खरीदकर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया तथा दिनांक 21.01.2012 को जब रेस्पोडेंट/प्रतिवादी ने नीवे खोदकर पेट्रोल पम्प बनाने लगे तो अपीलांट ने मना किया तब उन्होने बताया कि यह जमीन हमने शंकरपुरी के वारिसानृ से खरीद की तथा यहां पर पेट्रोल पम्प बनाने और जबरन पेट्रोल पम्प का निर्माण कर वादी के हक हकूक की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। जिससे वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त वाद के म्याद के बिंदु, वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य एवं दस्तावेज पर ध्यान दिये बिना इनकी विवेचना किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2018 पारित कर वाद को खारिज कर दिया। म्यूटेशन संख्या 116 जो धोखाधड़ी से सरपंच के साथ मिलीभगती से भरा गया, जो वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बेअसर एवं शून्य है, जहॉ म्याद का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, जिससे यह अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है। वादीगण के वाद में तनकीयात कायम की गई जिसमें तनकी संख्या सात जो म्याद के बिंदु पर कायम की गई। प्रतिवादी के 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बिना साक्ष्य ही उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तनकी पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीला अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 26.जुलाई 2018 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया जाकर संपूर्ण साक्ष्य पेश करने एवं नियमानुसार वाद की सुनवाई कर निर्णय करने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

जवाब में वकील रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त भूमि शंकरपुरी वल्द भेरपुरी के कब्जे काश्त में रही तथा गिरदावरी भी उसके नाम से बनी। वक्त सेटलमेंट जो व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त था, उनके नाम से ही खातेदारी दी गई। वक्त बंदोबस्त मिसल वादीगण के पूर्वज के नाम से जारी हो गई, जबकि गिरदावरी में कब्जा काश्त शंकरपुरी के नाम से होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत जमाबंदी संवतः 2025 में पुनः शंकरपुरी का नाम आ गया। हस्तगत दावा अपीलांट सहित अन्य नौ वादीगण ने पेश किया, जिन्होने ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपील एवं दावा विड्रो कर दिया था। लिहाजा आदेश 01 नियम 9 के तहत यदि कई पक्षकारो ने दावा पेश कर विड्रो कर लिया है तो दावे में उनका अनुतोष भी खत्म हो गया। अपीलांट अकेला उक्त दावा चला नहीं सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट अपने हक-हिस्से बाबत नवीन दावा प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है, जिसके संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण ने अपने वाद में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 643 रकबा 17.05 बीघा वक्त सेटलमेंट अपने पुर्व पुरुष श्री परबू वल्द किशना, नाराना वल्द आईदान के नाम दर्ज होने से वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित नामांतरकरण संख्या 116 को निरस्त कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने, प्रतिवादी से कब्जा दिलाने तथा प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की इस्तदुआ चाही गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दावे का खण्डन किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर दिनांक 27.02.2018 को तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में विचाराधीन चल रही थी। इसी दरम्यान प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर म्याद के बिंदु पर तथा विधिक तनकी पर बहस हेतु निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वादीगण को साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुति का अवसर दिये बिना तथा तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के बजाय प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद म्याद बाधित होने से खारिज किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत वादीगण का दावा खारिज किया जाना पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 183, 188 व 92ए के तहत पेश किया गया। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी के संबंध में दावा पेश करने बाबत कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जहां तक धारा 183 बाबत मियाद का प्रश्न है, प्रस्तुत साक्ष्य इस बाबत कायम तनकी संख्या 7 व अन्य विधिक तनकीयात बाबत मूल वाद में विवेचन कर स्पष्ट निष्कर्ष सहित निर्णय पारित किया जाना चाहिए। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर दावा खारिज किया जाना सही नहीं पाया जाता है। इन परितस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

यहां पर यह भी उल्लेखीय है कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट संख्या एक से नौ ने हाजिर होकर अपनी अपील एवं दावे को विड्रो कर लिया गया है। लिहाजा अपील एवं मूल वाद अपीलांट गंगाराम के हक-हिस्से तक ही प्रभावी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जुलाई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 138/2013 गंगाराम बनाम रूपपुरी को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में संशोधित तनकीयात कायम करते हुए अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई कर मामले में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। साथ ही अपीलांट को हिदायत है कि अन्य वादीगण द्वारा अपना दावा विड्रो कर लिये जाने से संशोधित इस्तदुआ सहित वाद को संशोधन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि॰ 19.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर